न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः–466/17 ((RCMS No. 2017/00496) 18 आयुध अधिनियम 1959)

माधो सिंह पुत्र फत्तेह सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम सिंघावली खुर्द थाना राजाखेडा तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये ए.पी.पी. धौलपुर

.....रैस्पोडैन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर दिनांक 12.09.2017

उपस्थितिः–

1. श्री दिनेश श्रीवास्तव वकील अपीलान्ट
2. सहायक लोक अभियोजक भरतपुर

नि र्ण य **दिनांकः 28.02.2018**

यह अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के निर्णय दिनांक 12.09.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिनांक 31.12.16 तक नवीनीकृत था, को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण किये जाने हेतु अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट ली गई। रिपोर्ट दिनांक 06.01.17 के अनुसार अपीलान्ट के विरूद्ध थाना में मु0 नं0 158/80 धारा 147, 323, 341 आईपीसी चार्जशीट नं0 76/31.10.80 दर्ज हुआ है। अपीलान्ट की आपराधिक पृष्ठभूमि को देखते हुऐ एवं थानाधिकारी थाना राजाखेडा व वृत्ताधिकारी वृत्त मनियॉ की जॉच रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण नही किये जाने की अनुशंसा की है। अपीलान्ट को आर्म्स एक्ट 17(3) के अन्तर्गत नोटिस दिया गया जिसका अपीलान्ट ने जबाब पेश किया कि उक्त मुकदमे में न्यायालय से दोष मुक्त हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना कि अपीलान्ट ने तथ्यों को छिपाया है। अपीलान्ट के विरूद्ध मु0 नं0 51/08 धारा 147, 149, 332, 353, 283, 336, 307 ता0हि0 जार्चशीट नं0 191/09 दिनांक 16.12.09 किता की जाकर चालान न्यायालय श्रीमान् एमजेएम राजाखेडा में दिनांक 19.12.09 को पेश

किया गया था, जो विचाराधीन है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को संदिग्ध आचरण वाला व्यक्ति मानते हुऐ तथा शस्त्र के दुरूपयोग होने की संभावना को देखते हुऐ कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति बनाये रखने हेतु शस्त्र अनुज्ञा पत्र को निरस्त कर दिया। इस निर्णय के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञापत्र दिनांक 31.12.2016 तक नवीनीकृत था जिसे आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिसमें अपीलान्ट के विरूद्ध प्रकरण संख्या 158/80 दर्ज हुआ था जिसमें अपीलान्ट को न्यायालय ने दोषमुक्त किया है। अपीलान्ट को संदिग्ध आचरण का व्यक्ति गलत माना है। अपीलान्ट के जबाब पर पुनः जिला पुलिस अधीक्षक की टिप्पणी ली है जिसमें उन्होंने मु0 नं0 51/08 दर्ज होना व चार्जशीट सं0 191/09 न्यायालय में दर्ज होना एवं विचाराधीन होना बताया है। परन्तु उक्त मुकदमा सं0 191/09 का निर्णय दिनांक 19.07.2017 को हो चुका है जिसमें अपीलान्ट को न्यायालय ने दोषमुक्त किया गया है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर कोई गौर नही किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित नही है। अपीलान्ट ने अनुज्ञापत्र के नियमों की पालना की है। अपीलान्ट ने शस्त्र का कभी दुरूपयोग नही किया है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा शस्त्र अनुज्ञापत्र को नवीनीकृत करने के आदेश पारित किये जावे।

विद्वान सहायक लोक अभियोजक का तर्क है कि अपीलान्ट के विरूद्ध थाने में मु0 नं0 158/80 धारा 147, 323, 341 आईपीसी चार्जशीट नं0 76/31.10.80 दर्ज हुआ है। अपीलान्ट की आपराधिक पृष्ठभूमि को देखते हुऐ एवं थानाधिकारी थाना राजाखेडा व वृत्ताधिकारी वृत्त मनियॉ की जॉच रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण नही किये जाने की अनुशंसा की है। इसके अलावा अपीलान्ट के विरूद्ध मु0 नं0 51/08 धारा 147, 149, 332, 353, 283, 336, 307 ता0हि0 जार्चशीट नं0 191/09 दिनांक 16.12.09 किता की जाकर चालान न्यायालय श्रीमान् एमजेएम राजाखेडा में पेश किया गया है, जो विचाराधीन है। अपीलान्ट संदिग्ध आचरण वाला व्यक्ति है। अपीलान्ट के विरूद्ध दो प्रकरण दर्ज हुऐ हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने शस्त्र के दुरूपयोग होने की संभावना को देखते हुऐ कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति बनाये रखने हेतु शस्त्र अनुज्ञा पत्र को निरस्त किया है, जो विधि सम्मत् है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है। अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट अपने शस्त्र अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण कराने के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिनांक 31.12.16 तक नवीनीकृत था। इस प्रार्थना पत्र पर जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट ली थी। जिला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 06.01.17 के अनुसार अपीलान्ट के विरूद्ध थाना में मु0 नं0 158/80 धारा 147, 323, 341 आईपीसी चार्जशीट नं0 76/31.10.80 दर्ज हुआ है। अपीलान्ट की आपराधिक पृष्ठभूमि को देखते हुऐ एवं थानाधिकारी थाना राजाखेडा व वृत्ताधिकारी वृत्त मनियॉ की जॉच रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण नही किये जाने की अनुशंसा की है। अपीलान्ट ने जबाब पेश किया कि उक्त मुकदमे में न्यायालय से दोष मुक्त हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना कि अपीलान्ट ने तथ्यों को

छिपाया है। अपीलान्ट के विरूद्ध मु0 नं0 51/08 धारा 147, 149, 332, 353, 283, 336, 307 ता0हि0 जार्चशीट नं0 191/09 दिनांक 16.12.09 विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को संदिग्ध आचरण वाला व्यक्ति मानते हुऐ शस्त्र अनुज्ञा पत्र को निरस्त कर दिया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड से जाहिर है कि अपीलान्ट के विरूद्ध मु0 नं0 158/80 धारा 147, 323, 341 आईपीसी चार्जशीट नं0 76/31.10.80 दर्ज हुआ है। जिसमें अपीलान्ट को वरी किया जा चुका है। अपीलान्ट के विरूद्ध मु0 नं0 51/08 धारा 147, 149, 332, 353, 283, 336, 307 ता0हि0 जार्चशीट नं0 191/09 दिनांक 16.12.09 दर्ज हुआ है जो विचाराधीन है। अपीलान्ट द्वारा आपराधिक तथ्यों को छुपाकर प्रार्थना पत्र पेश किया है। अपीलान्ट के विरूद्ध मुकदमा दर्ज होने व न्यायालय में विचाराधीन होने से अपीलान्ट की भूमिका संदिग्ध प्रतीत होती है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने शस्त्र अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण नहीं करने की अभिशंषा की है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों को छुपाकर प्रार्थना पत्र पेश करने एवं अपीलान्ट की सदिग्ध भूमिका को देखते हुऐ जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की अनियमितता नही है। अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.09.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official